

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2015/माघ 10, 1936

No. 211]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2015/MAGHA 10, 1936

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

का.आ. 289(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे आगे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 281(अ) के द्वारा, V अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, लाल बहादुर नगर, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना को विशेष न्यायालय के बतौर अधिसूचित किया था, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु अधिसूचित अपराधों के विचारण हेतु न्याय-क्षेत्राधिकार पूर्ण तेलंगाना राज्य होगा।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा डा. टी. श्रीनिवास राव, V अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए न्यायाधीश नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV) (पार्ट-2)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2015

S.O. 289(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 281(E), dated the 29th January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th January, 2015, notified the V Additional District and Sessions Court, Lal Bahadur Nagar in Ranga Reddy District, Hyderabad, Telangana as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Telangana for the trial of Scheduled Offences;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court for the State of Andhra Pradesh and for the State of Telangana, hereby appoints Dr. T. Srinivasa Rao, V Additional District and Sessions Judge as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV) (P-2)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.